सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 74 राँची, बुधवार, 6 फाल्गुन, 1947 (श०) / 25 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

16 फ़रवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-79/2018 का० 918--जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 3001, दिनांक- 10.06.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री रवि शंकर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-540/03), तत्कालीन संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध गुमला जिला अन्तर्गत कतरी जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित निविदा निस्तारण/कार्य आवंटन में अनियमितता बरतने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. श्री रवि शंकर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0-4603, दिनांक 10.08.2023 द्वारा श्री रवि शंकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-404, दिनांक-23.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है ।

6. अतः दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः आगे जाँच करने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री रवि शंकर को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ ।

8. श्री रवि शंकर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

9. श्री रवि शंकर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-4603, दिनांक 10.08.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

10. श्री रवि शंकर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit कराते हुए, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री रवि शंकर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 74 - 50